न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./67/2006/हनुमानगढ़

मन्शाराम पुत्र बेगाराम जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनमानगढ़।

.....अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2— राजेन्द्र पुत्र जुगलकिशोर
3— संजय पुत्र जुगलकिशोर
4— केसर बेवा जुगलकिशोर
समस्त जाति अग्रवाल महाजन निवासी पोहडका तहसील रावतसर जिला हनमानगढ़।

.....रेस्पोडेंट्स

एकल—पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :
श्री शशिकान्त जोशी अधिवक्ता अपीलांट।
श्री डूंगरसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 11 दिसम्बर, 2019

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2005 में पारित निर्णय दिनांक 03—12—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य (प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार) संक्षेप में इस प्रकार है कृषि भूमि स्थित ग्राम पोहडका तहसील रावतसर के पत्थर नम्बर 157/3 के किला नम्बरान 16 से 25 की 9.10 बीघा एवं पत्थर नम्बर 158/12 के किला नमब्र 2 ता 3 की 2 बीघा कुल 11.10 बीघा कृषि भूमि अपीलांट मंशाराम को अस्थाई काश्त (टी.सी.) हेतु आंवटित थी, जिसे पुख्ता आवंटित करवाने हेतु उसने एक आवेदन राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.परि. क्षेत्र में

राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत् सक्षम आवंटन अधिकारी एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष दिनांक 30–10–1998 को प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने संबंधित पटवारी हल्का पोहडका की रिपोर्ट दिनांक 15–7–1999 तथा गिरदावर की पुष्टि दिनांक 15–7–1999 एवं संबंधित तहसीलदार रावतसर की अनुशंषा आदि पर अपीलांट की पात्रता एवं योग्यता की जांच कर उसे पात्र एवं योग्य पाये जाने पर अपने कीमतन आवंटन आदेश दिनांक 21–12–1999 से विवादित आराजी अपीलांट के पक्ष में अस्थायी से पुख्ता आवंटित करते हुए उसके नाम आवंटन पट्टा दिनांक 22–12–1999 को जारी फरमा दिया।

3– इसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, नोहर कैम्प रावतसर के समक्ष दिनांक 03–6–2000 को तहसीलदार, रावतसर ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पटवारी की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ''प्रार्थी मंशाराम को आवंटित रकबा टी.सी. पर आवंटित होना प्रमाणित नहीं है इसलिए आवंटन निरस्त किया जावे।'' उक्त आवेदन पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा में उसे सुनवाई, साक्ष्य एवं अस्थाई काश्त का पट्टा प्रस्तुति का अवसर दिये बगैर एक ही दिन में बिना कोई जांच किये अपने विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 03–6–2000 से अपीलांट के आवंटन आदेश दिनांक 21–12–1999 को निरस्त फरमा दिया।

4– उक्त एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने एक प्रथम अपील संख्या 31 / 2000 राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्हांने अपने निर्णय दिनांक 27–01–2003 से स्वीकार फरमाते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 03–6–2000 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु आवंटन अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर ने प्रकरण मंशाराम बनाम सरकार के तौर पर दर्ज किया। दौराने प्रकरण वर्तमान रेस्पोडेंट राजेन्द्र आदि की ओर से अपील संख्या 21 / 2000 बउनवानी राजेन्द्र बनाम मंशाराम में पारित रिमाण्ड निर्णय दिनांक 24–7–2000 की प्रति प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु निवेदन करने पर आवंटन अधिकारी द्वारा इन्हें भी रिमाण्ड प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया। दौराने कार्यवाही अपीलांट द्वारा अपने टी.सी. पट्टा दिनांक 15–6–1989 की प्रति प्रस्तुत की गई। तदुपरांत आवंटन अधिकारी द्वारा उभय पक्षों को आवंटन

के रिमाण्ड प्रकरण पर गुणावगुण पर सुनते हुए अपने विधिसम्मत निर्णय दिनांक 30–6–2004 से अपीलांट मंशाराम को आवंटन आदेश दिनांक 21–12–1999 बहाल कर दिया।

5– आवंटन अधिकारी के निर्णय दिनांक 30–6–2004 के विरूद्ध रेस्पोडेंट राजेन्द्र द्वारा एक प्रथम अपील संख्यसा 44 / 2004 बउनवानी राजेन्द्र बनाम मंशाराम अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–6–2004 से निम्नानुसार स्वीकार की :–

> ''अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–6–2004 उपरोक्त 2 बीघा भूमि की हद तक अपास्त किया जाता है तथा शेष 9.10 बीघा का आवंटन आदेश मंशाराम का बहाल रखा जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का पुनः विधिवत रूप से निस्तारण करें।''

6– यहां यह उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उक्त निर्णय दिनांक 31–8–2004 से अपीलांट का 9.10 बीघा भूमि पर आवंटन यथावत रखा गया है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा उच्चतर न्यायालय में चाराजोही न किये जाने से यह निर्णय अन्तिम होकर आज भी प्रवर्तन एवं बहाल में है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नम्बरान 16 से 25 की 9.10 बीघा भूमि का विवाद शेष नहीं रहा है। उक्त निर्णय दिनांक 31–8–2004 से यह बखूबी स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण केवल मात्र पत्थर नम्बर 158 / 12 के किला नम्बरान 2 ता 3 की 2 बीघा भूमि हेतु आवंटन अधिकारी को रिमाण्ड किया गया।

7– प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर ने प्रकरण संख्या निल / 2003 बउनवानी राजेन्द्र बनाम मंशाराम पर दर्ज रजिस्टर का अपने निर्णय दिनांक 11–03–2005 से अपीलांट मंशाराम को आवंटित भूमि पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नम्बर 16 से 25 के 9.10 बीघा

का आवंटन बहाल रखते हुए शेष 158/12 के किला नमब्र 2 व 3 की 2 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर उसे आराजीराज दर्ज कर उक्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही अलग से करने के आदेश प्रदान कर दिये।

8— आवंटन अधिकारी के आंशिक निर्णय दिनांक 11—03—2005 जिससे पत्थर नम्बर 158/12 के किला नम्बरान 2 व 3 की भमि बाबत् अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया, उक्त हद तक अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध एक प्रथम अपील संख्या 21/2005 बउनवानी मंशाराम बनाम राजेन्द्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03—12—2005 से अपील आशिक रूप से स्वीकार कर आवंटन अधिकारी का सम्पूर्ण आदेश दिनांक 11—03—2005 अपास्त कर प्रकरण आवंटन अधिकारी को 2 बीघा भूमि के संबंध में आवंटन नियम 1975 के तहत् दोनों पक्षकारों की पात्रता की जांच करके पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय के निर्देशों सहित पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 03—12—2005 से क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

9— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

10— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में यह एक निर्विवादित तथ्यात्मक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट का पत्थर नम्बर 157/3 के किला नम्बरान 16 से 25 की 9.10 बीघा भूमि के बाबत् कोई विवाद प्रश्नगत प्रकरण में शेष नहीं रहा है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकार, हनुमानगढ़ द्वारा पूर्ववर्ती अपील संख्या 44/2004 में पारित निर्णय दिनांक 31—8—2004 एक अनचैलेन्जड निर्णय है जिसमें अपीलांट का 9.10 बीघा भूमि का आवंटन यथावत रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय दिनांरक 03—12—2005 के पृष्ठ संख्या 5 पर अंकित ऑपरेटिव पैरा संख्या 5 में सबसे नीचे की 7 पंक्तियों में उक्त 9.10 बीघा भूमि के बाबत् निम्नांकित फाईन्डिग अंकित की गयी है, जो निम्नानुसार :—

''अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के धारण की अन्य 9.10 बीघा भूमि का आवंटन यथावत रखने का आदेश पारित किया है। परन्तु उक्त आदेश पूर्व में ही आवंटन अधिकारी व अपील में यथावत रखा जा चुका है। इसलिए शेष 9.10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवंटन आदेश अंतिम हो चुका है। केवल मात्र चक पोहडका बारानी के पत्थर नम्बर 158 / 12 किला नम्बर 2 व 3 के सम्बन्ध में ही पक्षकारों के मध्य विवाद है व उक्त 2 बीघा भूमि के संबंध में ही पक्षकारों की पात्रता के संबंध में जांच की जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य बनता है व अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य बनती है।''

किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में 9.10 बीघा भूमि का आवंटन यथावत रखने के बावजूद पृष्ठ संख्या 6 पर अंकित ''आदेश'' में आवंटन अधिकारी का निर्णय दिनांक 11–03–2005 सम्पूर्ण तौर पर निरस्त कर दिया है जिससे अपीलान्ट का 9.10 बीघा भूमि का भी आवंटन निरस्त हो चुका है जो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट की 9.10 बीघा भूमि का कोई विवाद उभय–पक्षों के मध्य मौजूद नहीं है तथा 9.10 बीघा भूमि के संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती अपील में पारित निर्णय दिनांक 31–8–2004 अन्तिमता को प्रापत कर चुका है एवं अपीलाधीन निर्णय में भी 9.10 बीघा भूमि का विवाद नहीं माना गया है इसलिए प्रश्नगत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में पारित आदेश को स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है।

11– प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 09–12–2013 के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, उनसे पत्थर नम्बर 158 / 12 की 2 बीघा भूमि पर भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध तौर पर साबित है एवं अपीलांट एक अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसे मात्र 11.10 बीघा भूमि सन् 1999 में आवंटित हुई थी किन्तु उक्त प्रकरण तब से ही निरंतर गत 21 वर्षो से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है जिस वजह से अपीलांट उक्त आराजी का

सम्पूर्ण उपयोग व उपभोग भी नहीं कर पाया है जो सारभूत एवं त्वरित न्याय की कतई मंशा नहीं है। विधि द्वारा सुस्थापित है कि अनुसूचित जाति को आवंटित आराजी पर गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों का कोई हक व अधिकार नहीं होता है इसलिए उक्त 2 बीघा आराजी भी अपीलांट के अतिरिक्त अन्य किसी को आवंटित नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त कारणों से उक्त 2 बीघा आराजी पर रेस्पो0 राजेन्द्र का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी अपीलांट को टी.सी. पट्टा दिनांक 15–6–1989 से आवंटित है एवं टी.सी. धारक को पुख्ता आवंटन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी सम्पूर्ण आराजी पर केवल मात्र अपीलांट का ही अधिकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–12–2005 को पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नम्बर 16 से 25 रकबा 9.10 बीघा भूमि की हद तक अपास्त करते हुए उक्त 9. 10 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में बहाल रखते हुए शेष 2 बीघा भूमि के संबंध में आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदत्त फरमायें कि वे उक्त 2 बीघा भूमि के बाबत् आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पादित करें।

12– अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। प्रकरण को केवल रिमाण्ड किया है। उपखण्ड अधिकारी, रावतसर इसकी भली–भांति जांच कर व पात्रता को परखकर निर्णय पारित कर देंगे। इससे सही न्याय मिलने की संभावना है। अपील में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

13– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

14– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट मंशाराम ने एक आवेदन पत्र राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर) उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत सरकारी भूमि के स्थाई आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष दिनांक 30–10–1998 को प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पोहड़का के मु0नं0 157 / 3 के किला नंबर 16 से 25 की 9 बीघा भूमि 10 बिस्वा बारानी भूमि के आवंटन की प्रार्थना की गई। इस आवेदन पत्र पर पटवारी हलका ने रिपोर्ट अंकित की

जिसमें कांट–छांट कर पत्थर नम्बर 157/3 के किला नंबर 16 से 25 का 9.10 बीघा व पत्थर नंबर 158/12 के किला नंबर 2 व 3 के 2 बीघा पर अस्थाई जोत (टी.सी.) बताते हुए आवंटन की अभिशंषा की जिसे तहसीलदार, रावतसर ने उपखण्ड अधिकारी, नोहर का अग्रेषित कर दिया जिसके आधार पर आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने दिनांक 21–12–1999 को आवंटन करके आदेश क्रमांक 1667 दिनांक 22–12–1999 द्वारा अपीलांट मंशाराम को चक पोहड़का बारानी के पत्थर नम्बर 157/3 के किला नम्बर 16 से 25 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा व पत्थर नम्बर 158/12 के किला नंबर 2 व 3 की 2 बीघा की कुल 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पट्टा प्रदान कर दिया। तहसीलदार, रावतसर की रिपोर्ट दिनांक 03–6–2000 जिसमें अंकित किया गया कि मंशाराम को टी. सी. के आधार पर आवंटित भूमि पर रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी की टी.सी. पर होना प्रमाणित नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, नोहर कैम्प रावतसर ने दिनांक 21–12–1999 को मंशाराम को किया गया 11 बीघा 10 बिस्वा भमि का आवंटन निरस्त कर दिया।

15– उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 27–01–2003 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 03–6–2000 को निरस्त कर दिया गया व प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, नोहर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह अपीलांट को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें।

16– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के उक्त निर्णय के पश्चात् पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमें उन्होंने अपीलांट को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–6–2004 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के आवंटन आदेश दिनांक 21–12–1999 को बहाल कर दिया जिसके तहत पत्थर नम्बर 157/3 के किला नम्बर 16 ता 25 के 9 बीघा 10 बिस्वा व पत्थर नम्बर 158/12 के किला नंबर 2 व 3 के 2 बीघा कुल 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन को बहाल कर दिया।

17– इस बीच अप्रार्थी संख्या 1 ने एक अपील संख्या 21/2000 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा

पारित आवंटन आदेश दिनांक 21–12–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसमें उभय पक्षों को सुनकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने उस अपील में अप्रार्थी मंशाराम द्वारा अपील को स्वीकार करने के आधार पर निर्णय दिनांक 24–7–2000 द्वारा पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नंबर 16 ता 25 के 9 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट मंशाराम के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा व पत्थर नम्बर 158 / 12 के किला नंबर 2 –3 के 2 बीघा पर आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्ष ने कोई अपील अथवा अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की इसलिए उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है। उपखण्ड अधिकार, रावतसर के निर्णय दिनांक 30–6–2004 के विरूद्ध एक अपील संख्या 44 / 2004 राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 31–8–2004 द्वारा 2 बीघा भूमि का आवंटन अपास्त कर दिया और शेष 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन मंशाराम के पक्ष में यथावत रखा गया तथा प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत रूप से निस्तारित करें।

18– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ से प्रकरण पुनः लौटने के बाद उपखण्ड अधिकारी, रावतसर ने अपने निर्णय दिनांक 11–03–2005 द्वारा अपीलांट मंशाराम को पत्थर नंबर 157 / 3 के किला नंबर 16 ता 25 के 9 बीघा 10 बिस्वा का किया गया आवंटन बहाल रखा व पत्थर नम्बर 158 / 12 के किला नंबर 2 –3 के 2 बीघा जिसका आवंटन पूर्व में ही निरस्त हो चुका था और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 31–8–2004 द्वारा भी निरस्त कर दिया गया था, को रकबा राज घोषित कर दिया।

19– उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट मंशाराम ने पुनः अपील संख्या 21 / 2005 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपलाधीन आदेश दिनांक 03–12–2005 प्रदान किया जिसमें उन्होंने उपखण्ड अधिकार, रावतसर के आदेश दिनांक 11–03–2005 को अपास्त कर दिया और प्रकरण पुनः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को रिमाण्ड कर दिया।

20— उपर्युक्त समस्त न्यायिक कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलांट मंशाराम ने अपने आवंटन के प्रार्थना पत्र में पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नंबर 16—25 की 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन की प्रार्थना की लेकिन पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उसे उक्त भूमि के अतिरिक्त पत्थर नम्बर 158 / 12 के किला नबर 2—3 की 2 बीघा भूमि और आवंटित हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आवंटन के विरूद्ध एक अपील संख्या 21 / 2000 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर मंशाराम के पक्ष में हुआ 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन स्वीकार कर लिया गया व पत्थर नंबर 158 / 12 के किला नंबर 2—3 के 2 बीघा आवंटन को निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित निर्णय था।

21— विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का निर्णय दिनांक 11—03—2005 पूर्णत विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय है जिसके द्वारा उन्होंने अपीलांट मंशाराम के पक्ष में आवंटन पत्थर नम्बर 157 / 3 के किला नम्बर 16—25 के 9 बीघा 10 बिस्वा को बहाल रखा व पत्थर नंबर 158 / 12 के किला नंबर 2—3 के 2 बीघा का आवंटन जो विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24—7—2000 द्वारा निरस्त कर दिया था, को रकबा—राज करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये। अपीलांट मंशाराम ने संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाकर बार—बार अपील प्रस्तुत कर न्यायालय का बेहद कीमती समय और शक्ति अनावश्यक विवाद में व्यर्थ की है। इसी प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 31—8—2004 द्वारा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मंशाराम का आवंटन बहाल रखा व 2 बीघा भूमि पर आवंटन निरस्त कर दिया, जो कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने पूर्व के निर्णय दिनांक 24—7—2000 में भी यही पारित किया था तो फिर प्रकरण पुनः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रावतसर ने अपने निर्णय दिनांक 11—03—2005 द्वारा पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर दिया किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन निर्णय विधि के विरूद्ध, मनमाना व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

22— अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03—12—2005 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का निर्णय दिनांक 11—03—2005 बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य